सत्यमेव जयते

निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) 2018-19

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

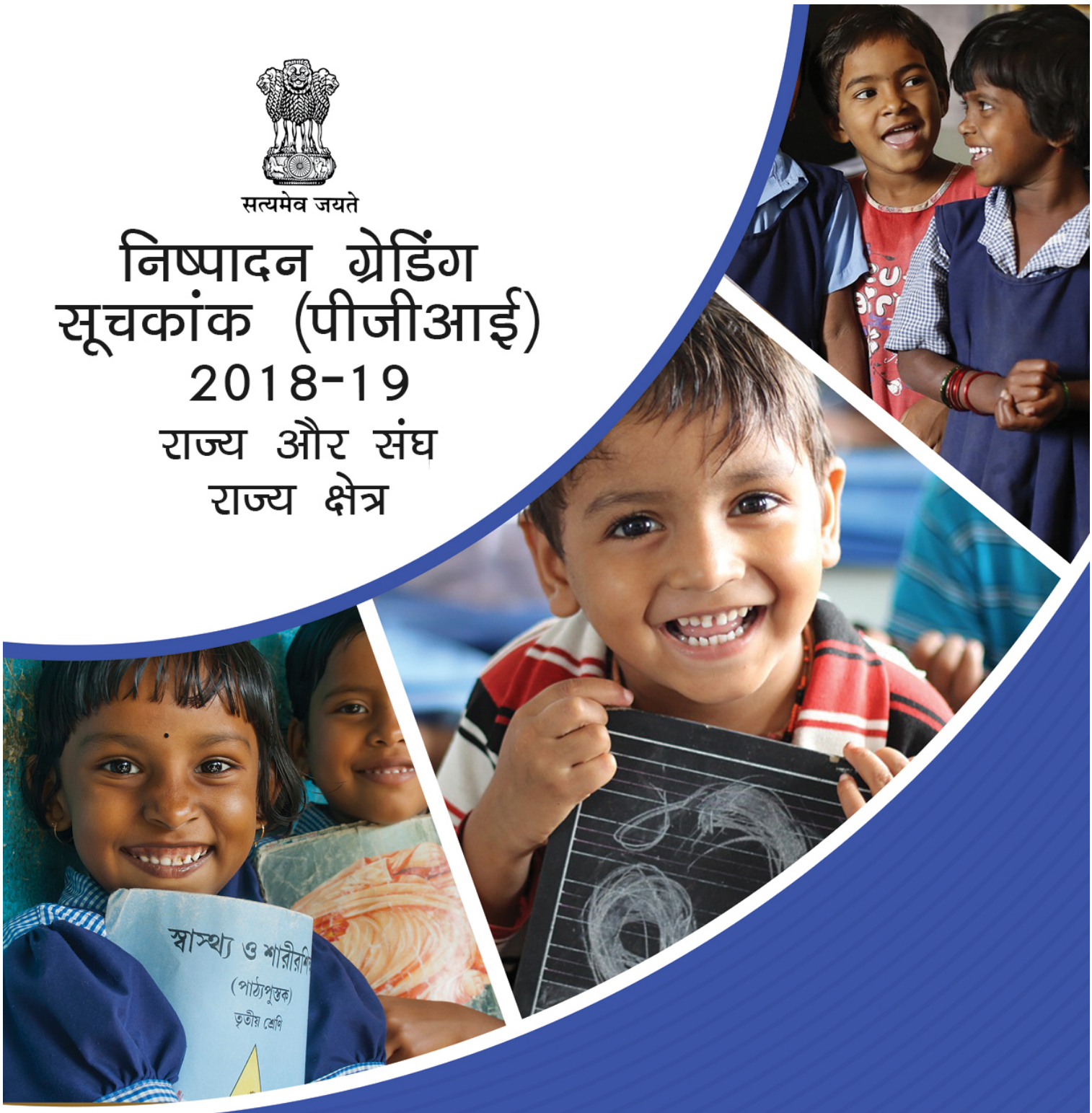

स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना

अधिगम के परिणाम और गुणवत्ता	पहुंच	बुनियादी संरचना और सुविधाएं	समानता	प्रशासन प्रक्रियाएं

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सूची

अध्याय	विषय	पेज न:
1	परिचय	3-4
2	कार्य पद्धति	5-6
3	अनुसन्धान का सारांश	7-18
	- कुल मिलाकर 2018-19 में पीजीआई स्कोर	7-8
	- पिछले वर्ष में सुधार	9-11
	- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वर्तमान प्रदर्शन और उच्चतम स्तरों तक पहुँच के बीच संबंध	12-15
	- अच्छे आचरण और कमजोर कड़ियाँ	16-18
	- आगे का रास्ता	18
4	अनुलग्नक	19-25
	- अनुलग्नक 1: संकेतकों की सूची, संबंधित डेटा स्रोत और वजन	19-23
	- अनुलग्नक 2: प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए सबसे कम और सबसे बेहतर सुधार वाली डोमेन	24-25

प्रस्तावना

1.1. भारतीय शिक्षा प्रणाली 15 लाख से अधिक स्कूलों, 94 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 25 करोड़ छात्रों[1] के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली देश की विविधतापूर्ण संस्कृति और विरासत के विकास और उत्कर्ष के लिए पर्याप्त संभावनाएं प्रदान करते हुए देश भर में मानकों और एकरूपता को बनाए रखने का प्रयास करती है।

1.2. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) द्वारा 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम' लागू करने के साथ-साथ शुरू की गई योजनाओं के परिणामस्वरूप बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अगले तार्किक कदम के रूप में अब शिक्षा की पहुंच से शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसलिए, डीओएसईएल ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) को डिजाइन किया है।

1.3. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) के लिए पीजीआई पहली बार 2019 में संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए प्रकाशित किया गया था। वर्तमान प्रकाशन, पीजीआई 2018-19 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर, पीजीआई 2017-18 के लिए उपयोग किए जाने वाले 70 मापदंडों के समान सेट के साथ तैयार किया गया है। पीजीआई 2018-19 में, 70 मापदंडों में से 54 के लिए डेटा, वर्ष 2018-19 का है। इन आंकड़ो का अद्यतन (अपडेशन) और पुनरीक्षण संबंधित राज्यों/केंदशासित प्रदेश द्वारा अलग-अलग चरण में जैसे स्कूल, जिला और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित और पुनरक्षित ऑनलाइन पोर्टलों जैसे शगुन, यूडाइस+, एमडीएम आदि का उपयोग करते हुए किया गया है। शेष 16 मापदंडों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2017 के अंकों का उपयोग पीजीआई 2017-18 और पीजीआई 2018-19 दोनों में किया गया है।

[1] स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों की संख्या यूडाइस+ 2018-19 से ली गयी है (प्रविजनल)

1.4. पीजीआई का प्रयोग यह परिकल्पना करता है कि सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को व्यवधानों का दायित्व लेने के लिए प्रेरित करेगा जिससे बहु-वांछित सर्वोत्तम शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होंगे। पीजीआई से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अंतराल को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है और तदनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि स्कूल शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो। साथ ही, यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों के लिए सूचना के एक अच्छे स्रोत के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जिसे आपस में साझा किया जा सकता है।

1.5. 2018-19 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त पीजीआई स्कोर और ग्रेड पीजीआई प्रणाली की प्रभावकारिता का प्रमाण है। कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने शासन और प्रबंधन से संबंधित मापदंडों में सुधार के साथ-साथ कई परिणाम मानकों में पर्याप्त सुधार किया है।

1.6. पीजीआई मूल्यांकन रैंकिंग के विपरीत, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रेड प्रदान करता है। ग्रेडिंग, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही स्तर पर विचार करने की अनुमति देकर, केवल एक को दूसरे की कीमत पर सुधारने की घटना को समाप्त करता है, जिससे अन्य पर खराब प्रदर्शन का आरोप नहीं लगेगा। हालांकि, वे यथास्थिति बनाए रख सकते हैं या पहले से भी बेहतर कर सकते है।

कार्यप्रणाली

2.1 पीजीआई का आर्किटेक्चर उस तर्क से निकलता है, जो एक कुशल, समावेशी और न्यायसंगत स्कूल शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है, जो इनपुट, आउटपुट और परिणामों के एक परस्पर मैट्रिक्स की निरंतर निगरानी और पाठ्यक्रम सुधार के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली के विकास पर आधारित है।

2.2 संकेतकों पर दी गई जानकारी, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस(यूडाइज़), राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)के राष्ट्रीय उपलब्धि (एनएएस), मिड-डे मील (एमडीएम) वेबसाइट, सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और शगुन पोर्टल से उपलब्ध आंकड़ों से तैयार की गई है। इन पोर्टलों का सृजन और रखरखाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। नवीनतम आंकड़ों को अपलोड करने, अपलोड किए गए आंकड़ों की जाँच करने, आकंड़ों को सत्यापित करने और संपादित करने और इन आंकड़ों का पुनरीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न चरणों में कई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड हैं। अंतिम पीजीआई की गणना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के इन पुनरीक्षित आंकड़ों के आधार पर की जाती है। पीजीआई 2018-19 के परिणामों को सारणीबद्ध करने के लिए, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 4 संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में माना गया है।

2.3 पीजीआईकी संरचना दो श्रेणियों में की गई है, अर्थात, परिणाम और शासन तथा प्रबंधन और इसमें 1000 के कुल भार के साथ 70 संकेतक शामिल हैं। प्रत्येक डोमेन, संबंधित वेटेज, डेटा स्रोत और बेंचमार्क स्तरों के अंतर्गत संकेतकों की विस्तृत सूची संलग्नक-1 में दी गई है।

2.4 पीजीआई के तहत प्रत्येक 70 सूचकांको के निर्धारित 10 या 20 अंको के साथ कुल 1000 वेटेज है। उनमें से कुछ संकेतकों के लिए, उप-संकेतक हैं। संकेतकों के कुल बिंदुओं को इन उप-संकेतकों के बीच वितरित किया गया है। यदि इन सभी उप-संकेतकों को भी गिना जाता है, तो पीजीआई में विचार किए गए मापदंडों की कुल संख्या 96 हो जाती है। प्रत्येक संकेतक और उप-संकेतक के लिए बेंचमार्क की तुलना में उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। प्रत्येक संकेतक के लिए इस बेंचमार्क/इष्टतम स्तर की सावधानीपूर्वक पहचान की गई है और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सुनिश्चित किया है कि ये तर्कसंगत और प्राप्त करने योग्य हैं। आवश्यकता के अनुसार इन्हें बाद में बदला जा सकता है।

2.5 प्रत्येक संकेतक के भार को 10 समूहों में विभाजित किया गया है- 0, 1-10, 11-20 और इसी तरह 91-100 तक। अत: यदि किसी राज्य ने एक संकेतक के मानदंड का 91% हासिल किया है, उसे अधिकतम अंक (10 या 20, जो भी विशेष संकेतक के लिए लागू होता है)

मिलेगा। हालांकि, कुछ संकेतकों के मामले में, कम मूल्य एक उच्च वेटेज स्कोर करेगा, जैसे इक्विटी संकेतक, निधि जारी करने के लिए लिया गया समय और एकल शिक्षक स्कूल इक्विटी संकेतकों के लिए, विभिन्न श्रेणियों के बीच '0'(शून्य) के अंतर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया है और अंतर के पूर्ण मूल्य पर ग्रेडिंग के लिए विचार किया गया है।

2.6 कुछ संकेतकों में कुछ उप-संकेतक शामिल हैं। इनके लिए, संकेतक को सौंपे गए कुल वेटेज को उप-संकेतकों के बीच वितरित किया गया है।

2.7 पीजीआई 2017-18 में, पीजीआई स्कोर के लिए नामावली को परिभाषित किया गया है। पीजीआई 2018-19 में समान कट-ऑफ और नामावली को बनाए रखा गया है। इस प्रकार, पीजीआई में उच्चतम प्राप्त करने योग्य स्तर I है, जो स्कोर 951-1000 के लिए है। इस बीच में, प्रत्येक स्तर के लिए 50 अंक का एक समान अंतराल रखा गया है। पीजीआई में, स्तर II का अर्थ है पीजीआई स्कोर 901-950, स्तर III: 851-900, स्तर IV: 801-850, और इसी तरह स्तर IX: 551-600 तक। अंतिम अर्थात् स्तर X स्कोर 0–550 के लिए है। स्तर-वार कट-ऑफ समय के साथ समान रहते हैं। वर्ष 2017-18 में, सर्वोच्च स्कोर 801-850 की सीमा में था, जिसे ग्रेड I कहा जाता था। वर्ष 2018-19 में, शीर्ष स्कोर उस सीमा को पार कर गया है और स्तर III तक पहुंच गया है, अर्थात, स्कोर सीमा 851-900। इस स्कोर रेंज 851-900 का नाम ग्रेड I+ है, जो ग्रेड I से अधिक है।

2.8 स्तर और ग्रेड 2018-19 के दौरान सभी 70 संकेतकों पर उनके प्रदर्शन पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त कुल स्कोर पर आधारित हैं (एनएएस से प्राप्त डेटा को छोड़कर, जो वर्ष 2017 के लिए है)। इस तरह राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति विभिन्न ग्रेडिंग श्रेणियों के सापेक्ष है और प्रत्येक वर्ष इसके प्रदर्शन के आधार पर बदल सकती है। इसी समय, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एक साथ उच्चतम स्तर/ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं।

2.9 ग्रेडिंग, एक आदर्श स्थिति में, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्टार निष्पादक बनने के लिए अवसर देती है और जो स्तर I पर होना चाहिए, जो पीजीआई के तहत प्राप्त किए जाने वाला लक्ष्य है।

निष्कर्षों का सार

3.1 2018-19 में कुल दिया गया पीजीआई स्कोर: पीजीआई 2018-19 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त किए गए स्तरों और ग्रेडों का विवरण चार्ट 1 में दिया गया हैं। तीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् चंडीगढ़, गुजरात और केरल ने स्तर III (स्कोर 851-900) अर्थात ग्रेड I+ प्राप्त किया है, केवल एक राज्य, यानि अरुणाचल प्रदेश ग्रेड VI यानी, स्कोर रेंज 551-600 में है।

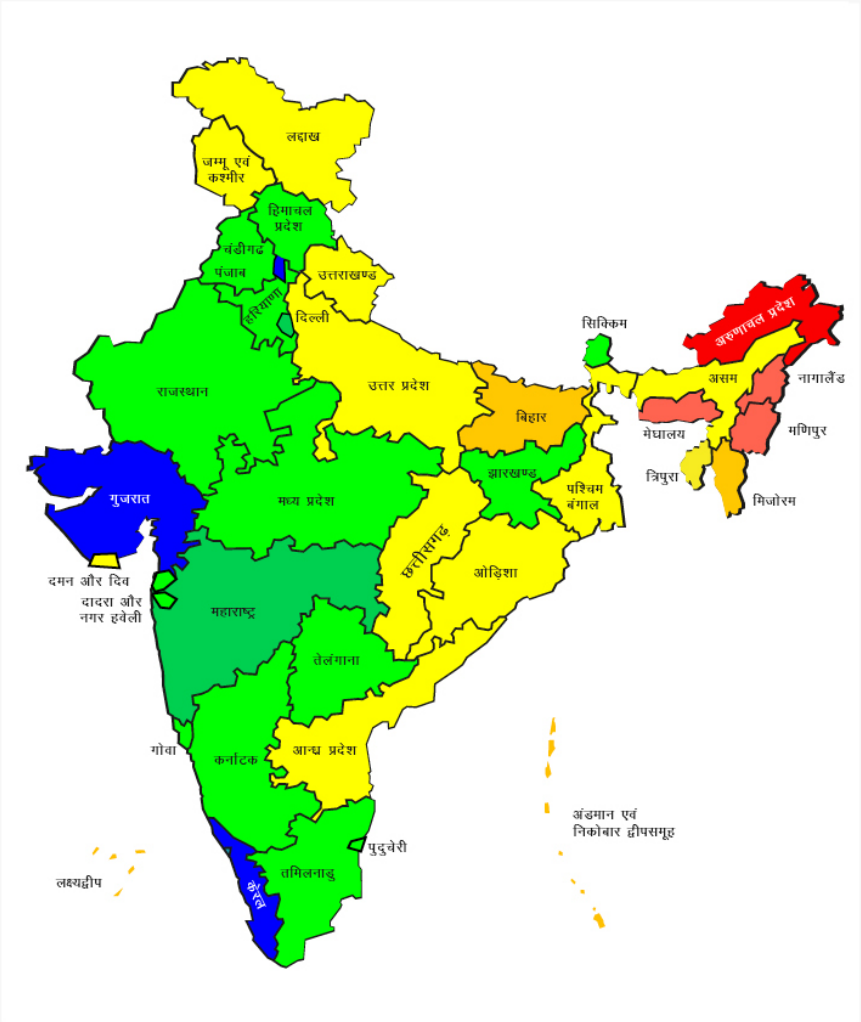

चार्ट 1:

स्कूल शिक्षा संबंधी पीजीआई 2018-19: राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

स्कोर सीमा	रंग
851-900	
801-850	
751-800	
701-750	
651-700	
601-650	
551-600	

3.2 पहली बार, 3 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 85% पीजीआई स्कोर की सीमा पार कर ली है और ग्रेड I+ तक पहुंच गया है। 2017-18 की तुलना में कुल 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने कुल पीजीआई स्कोर में सुधार किया है। विवरण 1 वर्तमान वर्ष के लिए विभिन्न स्तरों और ग्रेडों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या दी गई है। विवरण 1 और चार्ट 1 में एक विशेष स्तर/ग्रेड में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या और नाम दिए गए हैं। विवरण 1 में प्रस्तुत प्रत्येक स्तर/ग्रेड में प्रदर्शित होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम वर्णानुक्रम में हैं।

विवरण 1: विभिन्न पीजीआई स्तरों और ग्रेडों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या और नाम 2018-19

स्तर/ग्रेड (स्कोर)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम							राज्यों/ संघ राज्य की संख्या
स्तर I (951 - 1000)								नहीं
स्तर II (901 - 950)								नहीं
स्तर III (851 - 900) ग्रेड I+	चंढीगढ	गुजरात	केरल					3
स्तर IV (801 - 850) ग्रेड I	महाराष्ट्र	एनसीटी दिल्ली						2
स्तर V (751 - 800) ग्रेड II	दादरा और नागर हवेली पुदुचेरी	गोवा पंजाब	हरियाणा राजस्थान	हिमाचाल प्रदेश सिक्किम	झारखंड तमिलनाडु	कर्नाटक तेलंगाना	मध्य प्रदेश	13
स्तर VI (701 - 750) ग्रेड III	आंध्र प्रदेश त्रिपुरा	असम उत्तर प्रदेश	छत्तीसगढ उत्तराखंढ	दमन और दीव पश्चिम बंगाल	जम्मू और कश्मीर_(यूटी)	लद्दाख_(यूटी)	ओड़ीसा	11
स्तर VII (651 - 700) ग्रेड IV	अंडमान और निकोबार द्वीप	बिहार	लक्षद्वीप	मिजोरम				4
स्तर VIII (601 - 650) ग्रेड V	मणिपुर	मेघालय	नागालैंड					3
स्तर IX (551 - 600) ग्रेड VI	अरूणाचल प्रदेश							1
स्तर X (0 - 550) ग्रेड VII								नहीं

चार्ट: 2 पीजीआई 2018-19 के विभिन्न स्तरों/ग्रेड में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या

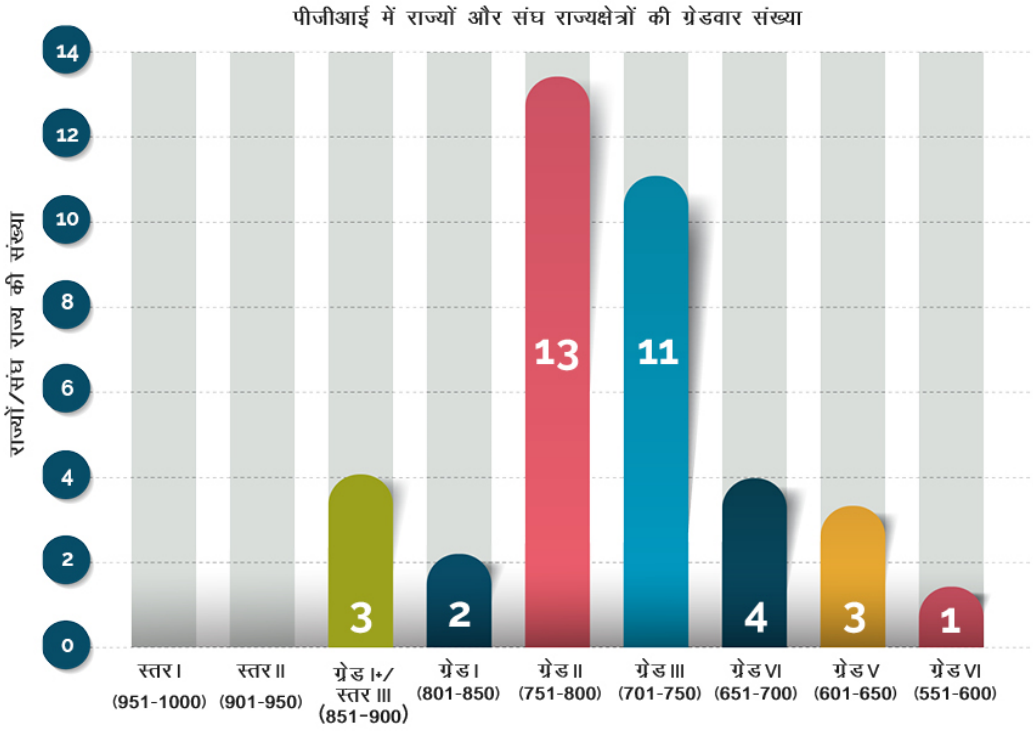

3.3 विगत वर्षों में सुधार: पीजीआई का एक प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जो प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र को अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार हेतु प्रेरित करेगा। चार्ट 3 पीजीआई 2018-19 और 2017-18 में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्कोर को दर्शाता है। पीजीआई 2017-18 की तुलना में पीजीआई 2018-19 का राज्य-वार प्रदर्शन यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में 34 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने पीजीआई स्कोर में सुधार किया है। चार राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों, अर्थात् महाराष्ट्र (ग्रेड I), झारखंड (ग्रेड II), उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (दोनों ग्रेड III में) ने अपने स्कोर में 10% से अधिक का सुधार किया है। पंद्रह राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, चंडीगढ़ और गुजरात (ग्रेड I+); राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (ग्रेड I); हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम (ग्रेड II); दमन और दीव, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर (यूटी) और लद्दाख (यूटी) (ग्रेड III में); बिहार और लक्षद्वीप (ग्रेड IV) और नागालैंड (ग्रेड V) ने अपने पीजीआई स्कोर में 5% से 10% तक का सुधार किया है। एक राज्य, छत्तीसगढ़ ने अपना 2017-18 स्कोर बरकरार रखा है। केवल दो राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश (ग्रेड III) और हरियाणा (ग्रेड II) का 2017-18 की तुलना में कम स्कोर है, हालांकि उनका ग्रेड चालू और पिछले वर्ष दोनों में समान है। शेष पंद्रह राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने पीजीआई स्कोर में 5% से कम सुधार किया है। जोकि वर्तमान/ विगत वर्ष में पीजीआई स्कोर के विभिन्न स्तरों/ग्रेडों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या को दर्शाता है, जो स्पष्ट रूप से एक सामान्य बदलाव की ओर ईशारा करता है।

विवरण 2: विभिन्न पीजीआई ग्रेड में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या

	2018-19	2017-18
ग्रेड I+ (851-900)	3	0
ग्रेड I (801-850)	2	3
ग्रेड II (751-800)	13	5
ग्रेड III (701-750)	11	10
ग्रेड IV (651-700)	4*	6
ग्रेड V (601-650)	3	10*
ग्रेड VI (551-600)	1	3

चार्ट 3: संघ राज्यक्षेत्रों का पीजीआई स्कोर 2017-18 और 2018-19

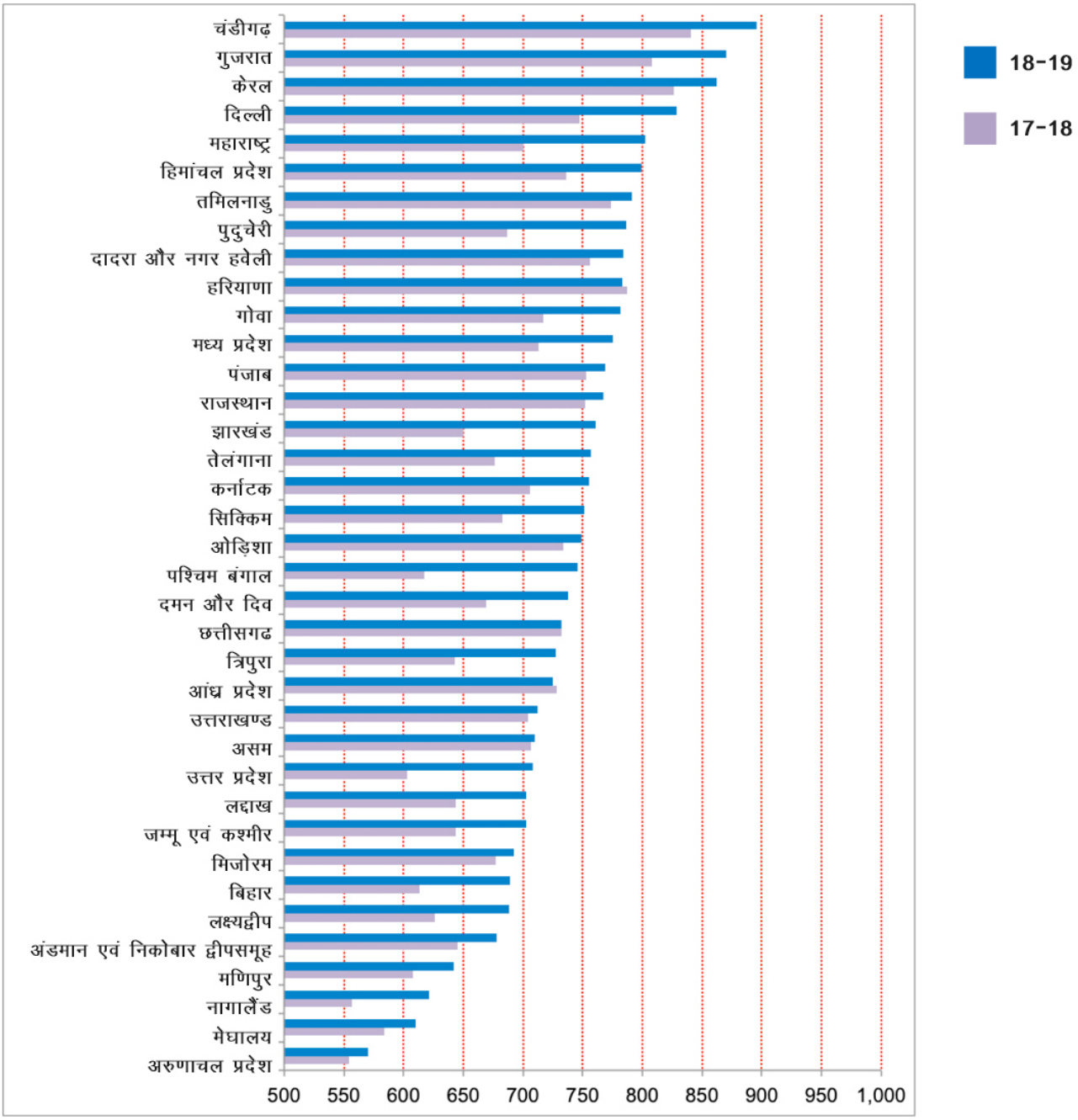

3.4 अंतर्राज्यीय विभेद: अधिकतम संभावित 1000 अंकों में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच की सीमा अधिकतम और न्यूनतम स्कोर 300 से अधिक है जो अधिकतम अंकों का 30% है। इस प्रकार, जहां तक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन का संबंध है पीजीआई 2018-19 मूल्यांकन के अनुसार राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच काफी अंतर मौजूद है। 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में अंतर-राज्य विभेद में मामूली वृद्धि हुई है। इस प्रकार, पीजीआई प्रणाली ने अपने प्रदर्शन में सुधार प्रदर्शन के इच्छुक राज्यों और केंद्र संघ राज्य क्षेत्र दोनों की मदद की है, हालांकि विगत वर्ष में राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों के प्रदर्शन में अधिक सुधार हुआ है।

3.5 बुनियादी लक्ष्य की तुलना में सर्वोत्तम उपलब्धियां: जैसा कि चार्ट 3 के माध्यम देखा जा सकता है, जैसा कि इस वर्ष के मूल्यांकन के अनुसार जो राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र स्तर III या ग्रेड I में हैं, उनके पास अभी भी अधिकतम कुल 1000 अंकों तक पहुंचने का पर्याप्त आधार है।

3.6 आकार की तुलना में प्रदर्शन: किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रदर्शन अक्सर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आकार (भौगोलिक क्षेत्र) से जुड़ा माना जाता है क्योंकि इसका असर कई लोजिस्टिक, प्रशासनिक और अन्य मुद्दों पर होता है। हालाँकि, पीजीआई द्वारा मूल्यांकन के अनुसार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रदर्शन में आकार एक निर्धारित कारक नहीं है। इस प्रकार, चंडीगढ़, गुजरात और केरल, जो शीर्ष स्तर (ग्रेड I+) में हैं, 37 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य उनके भौगोलिक आकार के मामले में क्रमशः 35वें, 5वें 23वें स्थान पर हैं। इसी तरह, जो राज्य ग्रेड VI और V में हैं, उन्हें भौगोलिक आकार के अनुसार क्रमशः 14वां (अरुणाचल प्रदेश), 24वां (मेघालय), 26वां (नागालैंड) और 25वां (मणिपुर) रैंक दिया गया है।

3.7 जनसंख्या की तुलना में प्रदर्शन: जनसंख्या को कभी-कभी विकास के रास्ते में बाधा के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह सरकार के हस्तक्षेपों के संबंध में वित्तीय परिव्यय में वृद्धि करता है। जनसंख्या के आकार के संदर्भ में, स्तर 3 और ग्रेड I राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31वें (चंडीगढ़), 9वें (गुजरात), 13वें (केरल), 19वें (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और दूसरा (महाराष्ट्र) हैं। चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, जो जनसंख्या रैंकिंग में ग्रेड 5 और 6 पर हैं, उनका क्रमशः 28वां, 24वां, 26वां 25वां रैंक हैं। इसलिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन पर जनसंख्या का प्रभाव अनिर्णायक है।

चार्ट 4: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीजीआई स्कोर 2018-19 और 2017-18

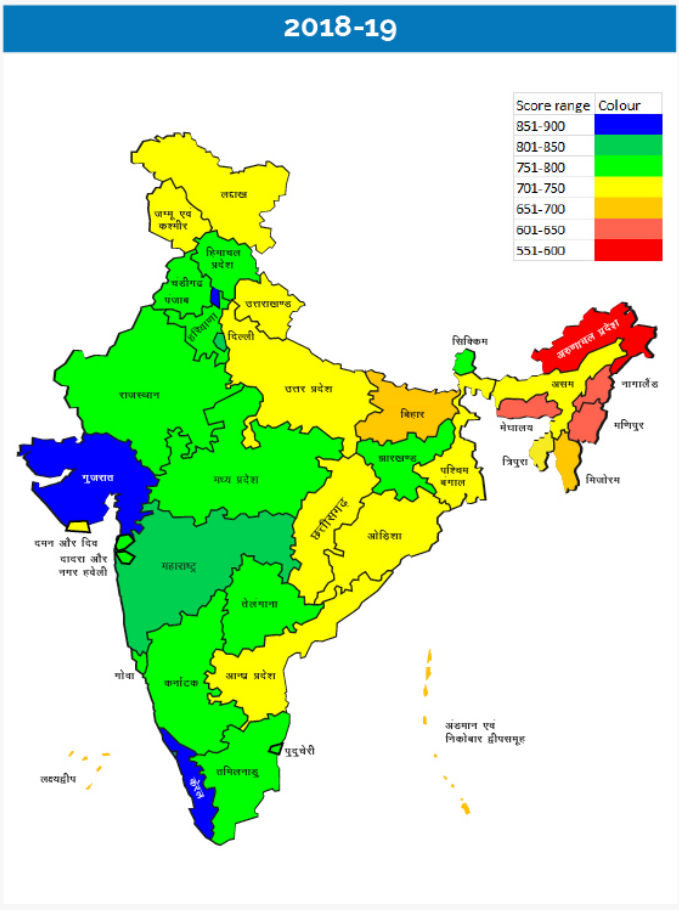

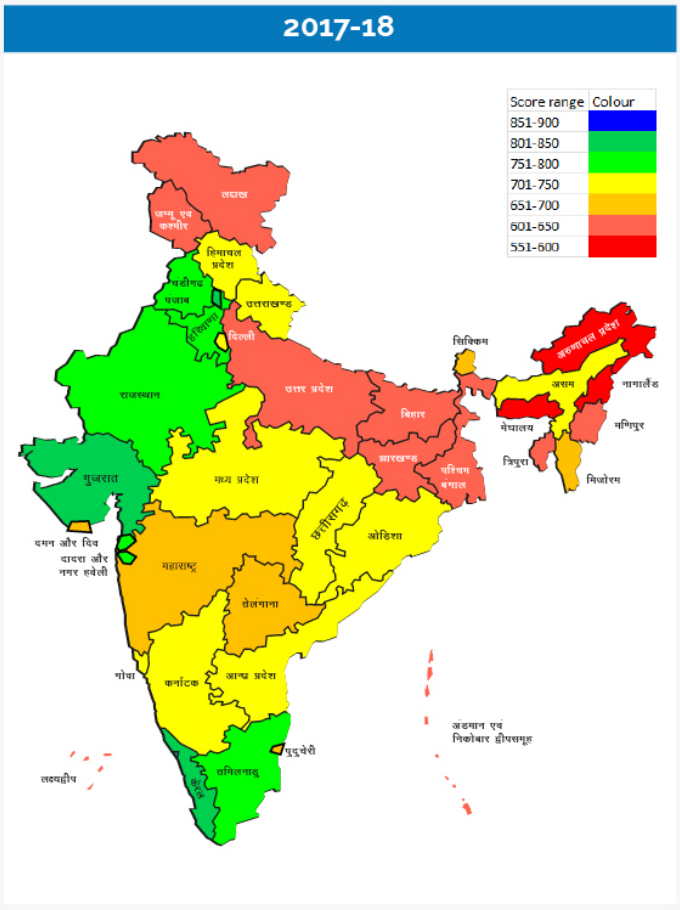

4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा प्रदर्शन और उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बीच संबंध:

4.1 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि पीजीआई का एक मुख्य उद्देश्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को उन क्षेत्रों से अवगत कराना है जहां सुधार और उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने और संभावित अधिकतम स्कोर प्राप्त करने की गुंजाइश है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को, जहां कहीं भी रखा गया है, आगामी वर्षों में उच्च ग्रेड/स्तर तक जाने का प्रयास करना चाहिए और एक देश के रूप में, इसका उद्देश्य यह है कि सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सर्वोच्च स्तर पर हों।

चार्ट 5: 2017-18 के अपने कुल स्कोर से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 2018-19 के पीजीआई स्कोर में सुधार

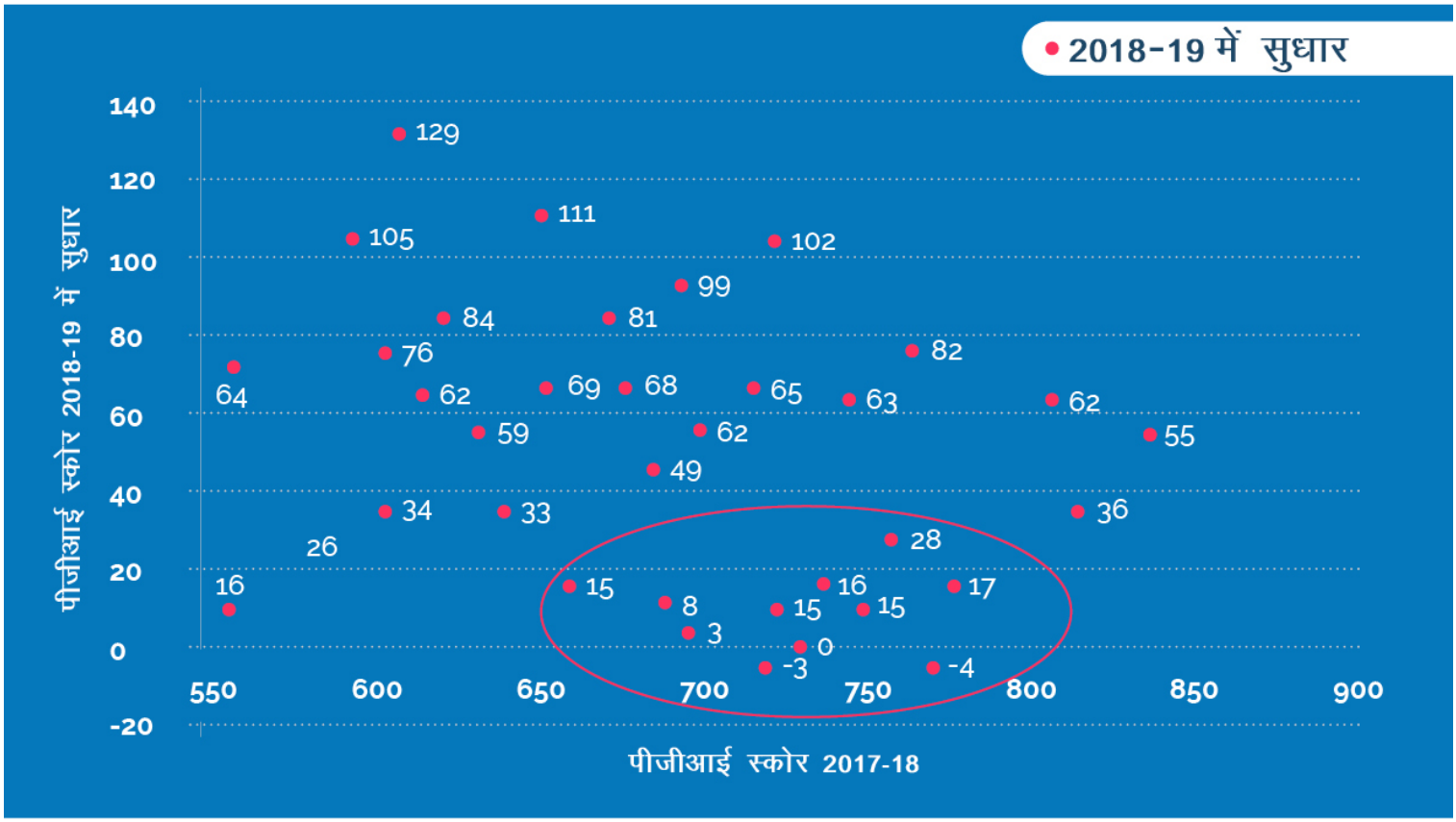

4.2 विगत वर्ष की तुलना में पीजीआई 2018-19 के स्कोर में सुधार को चार्ट 5 में एक विखंडित रूप में दर्शाया गया है। यह सामान्य रूप से दर्शाता है कि 2017-18 में कम स्कोर वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के स्कोर में अधिक सुधार हुआ। कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, इस सुधार का कारण उनके डेटा रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार है जबकि कुछ अन्य के लिए, सुधार विशिष्ट डोमेन में हुए हैं, जिनकी चर्चा बाद में की गई है। दूसरी ओर, उच्च पीजीआई स्कोर वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने आम तौर पर स्कोर में कम परिवर्तन प्रदर्शित किया है। हालांकि चिंता का एक बिंदु बना हुआ है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का एक समूह जो कि मध्य रेंज (651 से 850 के बीच) में है जिसके पीजीआई स्कोर में साल 2017-18 के इस एक साल में 30 बिंदुओं से कम का सुधार हुआ है। उनमें से कुछ आंध्र प्रदेश (2017-18 स्कोर 728, परिवर्तन-3), हरियाणा

(2017-18 स्कोर 787, परिवर्तन-4), छत्तीसगढ़ (2017-18 स्कोर 732, परिवर्तन-0), असम (2017-18 स्कोर 707) , परिवर्तन-3), उत्तराखंड (2017-18 स्कोर 704, परिवर्तन-8), ओडिशा (2017-18 स्कोर 734, परिवर्तन-15), राजस्थान (2017-18 स्कोर 752, परिवर्तन-15), पंजाब (2017-18 स्कोर 753, परिवर्तन-16), तमिलनाडु (2017-18 स्कोर 774, परिवर्तन-17), दादरा और नगर हवेली (2017-18 स्कोर 756, परिवर्तन-28)। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न डोमेन में प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो मोटे तौर पर पूरे देश के प्रदर्शन में समग्र सुधार का फैसला करेगा।

4.3 श्रेणी 1 के डोमेन 1 के संबंध में, अधिकांश मापदंडों के स्कोर में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि ये एनएएस पर आधारित हैं। बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने इस पैरामीटर में कम से कम 10 बिंदुओं में सुधार दिखाया है, मुख्यतः उनके रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार के कारण नीचे दिए गए विवरण 3 में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या को दिखाया गया है, जिन्होंने शेष डोमेन के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 10 अंकों में सुधार किया है या पिछले वर्षों में अपने अंकों में कम से कम 5 अंक की कमी की है। चूंकि इन डोमेन के अधिकांश डेटा को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के यूडाइस + और शगुन पोर्टल्स के माध्यम से दर्ज किया गया है, यह वास्तविक रूप से साल-दर-साल बदलाव को दर्शाता है।

विवरण 3: पिछले वर्ष की तुलना में पीजीआई 2018-19 के स्कोर में उच्च सुधार/कटौती दिखाने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या

	10 अंक या अधिक का इजाफा	5 अंक या अधिक कमी
श्रेणी 1 डोमेन 2 (एक्सेस)	4	2
श्रेणी 1 डोमेन 3 (बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ)	20	4
श्रेणी 1 डोमेन 4 (इक्विटी)	1	15
श्रेणी 2 डोमेन 1 (शासन प्रक्रियाएं)	29	5

4.4 डोमेन-वार प्रदर्शन (चार्ट्स 6 से 10) के विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी डोमेन में बहुत अच्छा या काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सभी के पास अभी भी उच्चतम स्तर तक पहुंचने की गुंजाइश है। इस प्रकार, जबकि चंडीगढ़, केरल और गुजरात में तीसरे स्तर में और 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उन्होंने संभावित अधिकतम 1000 में से 851-900 अंक हासिल किए हैं। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अभी भी जरूरत है अपने प्रदर्शन में सुधार करें ताकि वे कम से कम समय में स्तर 1 तक पहुंच सकें। वे संकेतकों का कितना अच्छा पालन करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए, अन्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भी अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और बहुत देरी के बिना स्तर 1 तक पहुंच सकते हैं।

चार्ट 6: पीजीआई श्रेणी 1, डोमेन 1-शिक्षण परिणाम और गुणवत्ता 2018-19 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रदर्शन

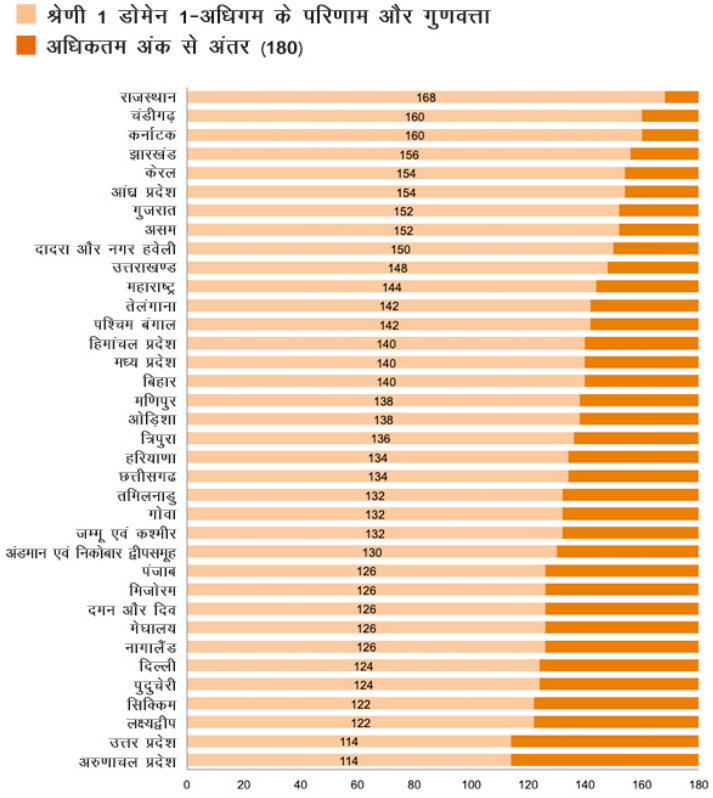

चार्ट 7: पीजीआई श्रेणी 1 डोमेन 2 एक्सेस-2018-19 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रदर्शन

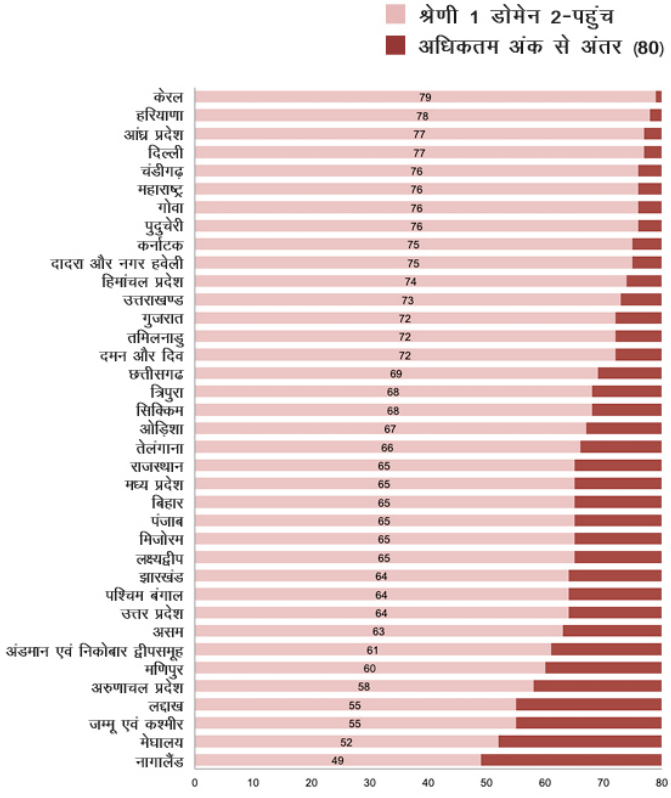

चार्ट 8: पीजीआई श्रेणी 1 डोमेन 3-इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं 2018-19 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रदर्शन

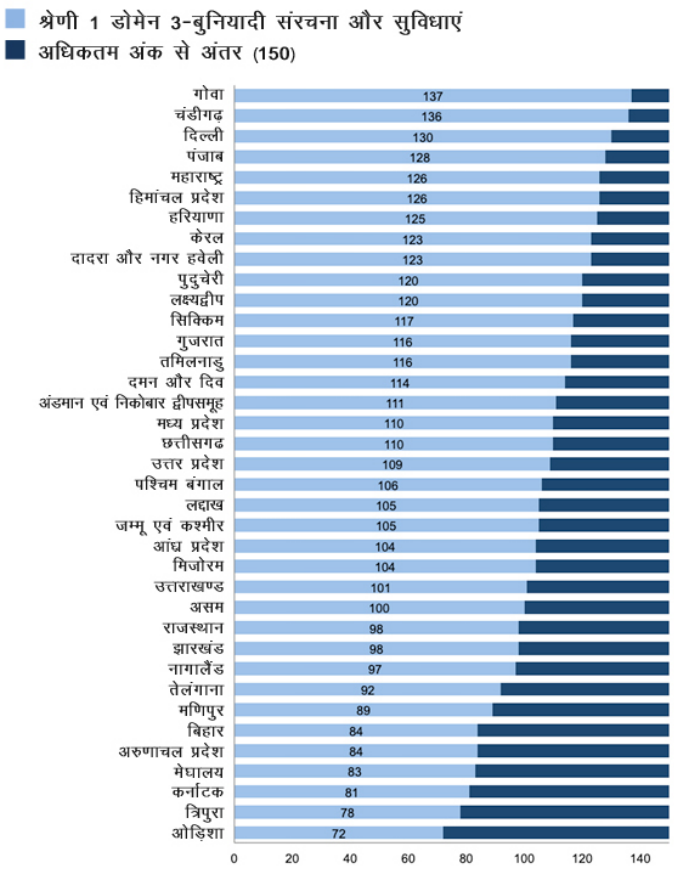

चार्ट 9: पीजीआई श्रेणी 1 डोमेन 4 इक्विटी 2018-19 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रदर्शन

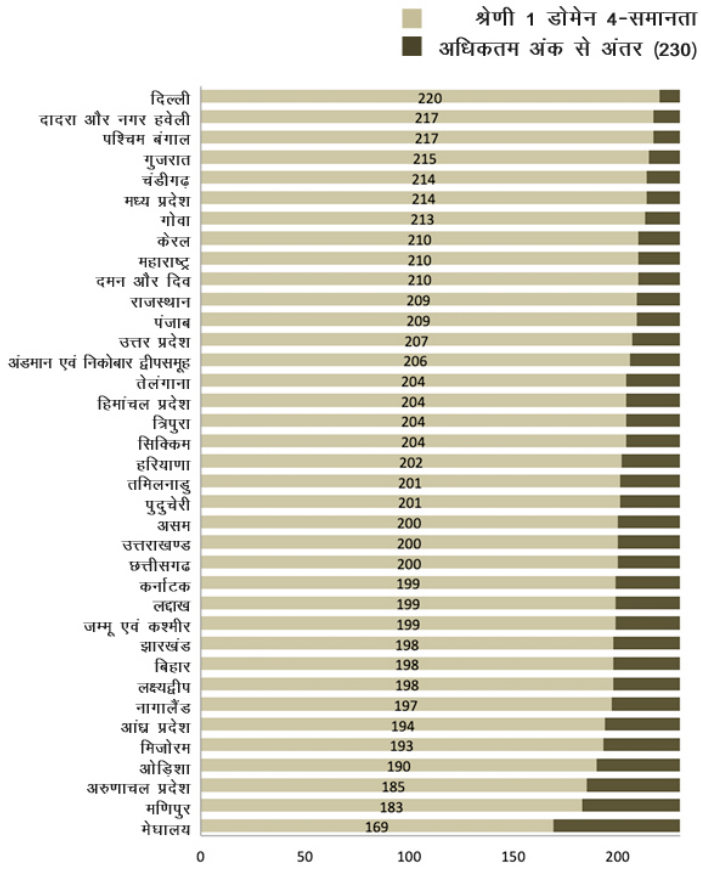

चार्ट 10: पीजीआई श्रेणी 2 डोमेन 1 शासन प्रक्रियाओं में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन 2018-19

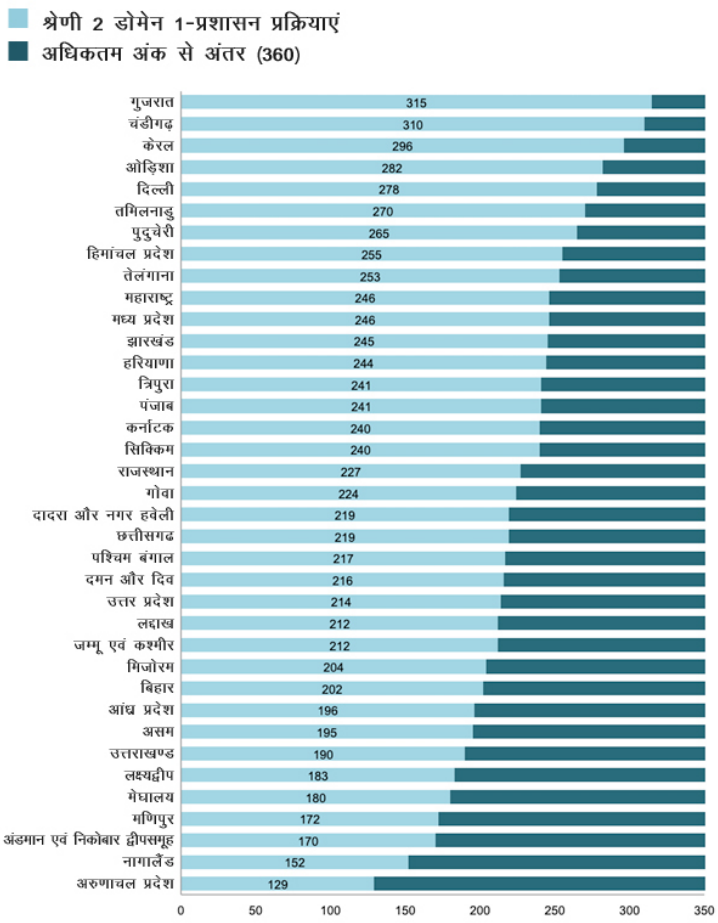

अच्छी पद्धतियां

5.1 यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए अनुलग्नक-2 में इस तरह का एक क्षेत्र है। सूची संपूर्ण नहीं है क्योंकि कई अन्य क्षेत्र हैं जहां प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यह साबित करता है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सभी संकेतकों के बेंचमार्क तक पहुंचना संभव है। यह उम्मीद की जाती है कि पीजीआई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने समग्र प्रदर्शन में सुधार करने हेतु सक्षम बनायेगा।

कमजोर लिंक

6.1 एक डोमेन-वार विश्लेषण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामान्य चिंता के कुछ क्षेत्रों को भी सामने लाता है। यह नोट करना उचित है कि परिणामों के तहत वर्गीकृत सभी चार डोमेन के मामले में, शीर्ष स्कोर संबंधित डोमेन में अधिकतम संभव बिंदुओं का 90 प्रतिशत से अधिक है। हालाँकि, शासन और प्रबंधन से संबंधित डोमेन के मामले में, शीर्ष अंक (315, गुजरात) अधिकतम अंक (360) का 87.5 प्रतिशत है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, इस डोमेन में प्राप्त न्यूनतम स्कोर 40 प्रतिशत (35.8 प्रतिशत) से नीचे है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह वह क्षेत्र हैं जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीजीआई इस डोमेन के लिए सबसे अधिक महत्व देता है क्योंकि यहां संकेतकों के अनुपालन से शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी से लेकर शिक्षकों और प्राचार्यों की पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार होंगे।

6.2 हालांकि यह सामान्य बात है कि शिक्षकों और प्राचार्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी, नियमित पर्यवेक्षण और निरीक्षण की कमी, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, वित्त की समय पर उपलब्धता (जो सभी शासन और प्रबंधन डोमेन में हैं) कुछ कारक हैं देश में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, यह पहली बार है कि कोई विश्वसनीय उपकरण है जो इस बात की पुष्टि करता है। पीजीआई के माध्यम से, कमी को निष्पक्ष और नियमित रूप से मापा जा सकता है। अंतर को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

6.3 दूसरा क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है डोमेन फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जहाँ प्राप्त किया गया न्यूनतम अंक अधिकतम अंकों का केवल 48 प्रतिशत था। यह एक चिंता का विषय है क्योंकि स्कूली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ एक उचित स्कूल भवन होना आवश्यक है। आईसीटी सुविधाओं की उपलब्धता और पाठ्यपुस्तकों और वर्दी की समय पर उपलब्धता जैसे संकेतक, जो छात्रों के बेहतर प्रदर्शन (और आरटीई अधिनियम में उल्लिखित) के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं, को इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज डोमेन में मापा जाता है। इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमी को भी सूचकांकों द्वारा मापा गया है। सकारात्मक पक्ष में, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में न्यूनतम पीजीआई स्कोर 2018-19 और 2017-18 के बीच 10 प्रतिशत अंकों में सुधार हुआ है, यह दर्शाता है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, भले ही अलग-अलग दिशाओं से। इसलिए, पीजीआई अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी शासन प्रक्रिया और बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं में सुधार करने में सफल रहा है।

शिक्षा अधिगम

7.1 यह शायद सबसे महत्वपूर्ण डोमेन है और सूचकांक का अंतिम लक्ष्य है। हालांकि, अन्य डोमेन के विपरीत, जो कि अनुपालन के लिए अपेक्षाकृत आसान है, उपस्थिति की जाँच करने के लिए, अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करना या तंत्र स्थापित करना, लर्निंग आउटकम में सुधार करने में समय और धैर्य लगता है। अन्य सभी डोमेन लर्निंग आउटकम का समर्थन करते हैं और उसका अभिसरण करते हैं। लर्निंग आउटकम के वास्तविक सुधार की एक अलग पहल के तहत देखरेख की जा रही है जिसमें शिक्षकों की क्षमता और मूल्यांकन की संपूर्ण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शामिल है। एकीकृत 4-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा में सुधारों की शुरूआत करेगा। जबकि एक केंद्रीय मूल्यांकन एजेंसी वैश्विक स्तर पर समान मूल्यांकन के साथ व्यवसायिक मूल्यांकन करेगी। 2021 में पीआईएसए और संबद्ध सीबीएसई परीक्षा सुधारों में भारत की भागीदारी, वर्तमान में बड़े पैमाने पर रोट-लर्निंग आधारित स्कूल प्रणाली को अधिक योग्यता-आधारित प्रणाली की ओर ले जाएगी। सेवा शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूल प्रिंसिपलों के नेतृत्व विकास कार्यक्रम को कठोर एवं मजबूत बनाने हेतु को दीक्षा के तहत ई-सामग्री द्वारा पूरक किया जाएगा, जो शिक्षकों और छात्रों दोनों का समर्थन करेगा। विश्वसनीय और भरोसेमंद डेटा के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी को सभी स्तरों पर और विशेष रूप से

संशोधित यूडाइज+ के तहत लिया जाएगा, जो स्कूलों की जीआईएस मैपिंग के साथ-साथ निर्णय लेने में मदद करेगा।

7.2 लर्निंग आउटकम के मामले में, यह देखा गया है कि, सामान्य तौर पर उच्च मानकों में प्राप्त किए गए अंक निचले मानकों के मुकाबले कम होते हैं। इसलिए, निचले स्तरों पर बेहतर हस्तक्षेप सुनिश्चित करना अनिवार्य है क्योंकि उच्च स्तरों पर इसका सकारात्मक कैस्केडिंग प्रभाव होगा। आगामी एनएएस सीखने के परिणामों में सुधार को निर्धारित करने में अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा।

भविष्य

8.1 2018-19 के लिए पीजीआई रिपोर्ट में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का और अधिक विश्लेषण किया जाएगा। रिपोर्ट एमएचआरडी के पोर्टल पर उपलब्ध होगी। संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वास्तविक तस्वीर को प्रतिबिंबित करने के लिए, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपलोड किए गए डेटा की गुणवत्ता और जवाबदेही महत्वपूर्ण होगी। इसे प्राप्त करने के लिए, डेटा स्रोतों को अधिक व्यापक, उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और उन्हें क्रॉस-चेक के अधीन करने का प्रयास किया गया है, जिससे प्राप्त जानकारी की विश्वसनीयता और मजबूती बढ़ेगी। डेटा का मुख्य स्रोत, जो कि यूडाइज+ है, को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एमआईएस समन्वयकों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है, जो डेटा अपलोडिंग और प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी हैं।

8.2 शगुन# रिपॉजिटरी पोर्टल को भी अपग्रेड किया जा रहा है और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे दूसरों के साथ साझा करने के लिए अच्छे आचरण के चित्र/वीडियो प्रदान करें। यह प्रस्तावित है कि भविष्य में, विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कार यादृच्छिक नमूना (रैंडम सैंपलिंग) के आधार पर स्पॉट इंस्पेक्शन द्वारा उपयुक्त इन सबूतों पर आधारित होंगे। एनसीईआरटी द्वारा सीखने के परिणामों को मापने के लिए आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) को भी मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सुव्यवस्थित किया जा रहा है। एक मजबूत और कुशल डेटा एनालिटिक्स ढांचे के साथ मिलकर एक विश्वसनीय, समय पर और भागीदारी सूचना प्रणाली किसी भी सरकारी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन का मूल है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में, शिक्षा का अधिकार और दूरदर्शी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विधायी ढांचे को सक्षम करने के द्वारा निर्देशित, समग्र शिक्षा (एसएस), मिड-डे मील (एमडीएम) जैसी सरकारी योजनाएं और इसी तरह की अन्य योजनाएं यदि वे प्रभावी ढंग से निगरानी रखते हैं तो राज्य वांछित परिणाम प्रदान करेंगे। एक वास्तविक समय डेटा उपलब्धता प्रणाली (जैसे, यूडाइस+, शगुन, आदि) की रूपरेखा और पीजीआई के माध्यम से प्रदान किया गया एक उद्देश्य और समग्र प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सही संयोजन प्रदान करेगा। प्रदर्शन आधारित अनुदान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस क्षेत्र में निरंतर और केंद्रित, ध्यान सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जो देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

#शगुन शब्द "शाला" (जिसका अर्थ स्कूल है) और "गुणवत्ता" (जिसका अर्थ है उत्कृष्टता) से है

संलग्नक - १

संकेतकों की सूची, पीजीआई हेतु संबंधित **डाटा स्रोत** और **मान**

क्र.सं.	संकेतक सं.	सूचक	डेटा स्रोत	मान	बेंचमार्क
1	2	3	4	5	6
		श्रेणी 1: परिणाम			
		क्षेत्र 1–सीखने के परिणाम और गुणवत्ता			
1	1.1.1	प्रारंभिक विद्यालयों का प्रतिशत, जिन्होंने कक्षा–वार शिक्षण परिणाम प्रदर्शित किए हैं।	शगुन	20	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय का 100 प्रतिशत
2	1.1.2	कक्षा 3 में औसत भाषा स्कोर–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	एनएएस	20	कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एनएएस के अंतिम राउंड ने छात्रों के एलओ का परीक्षण किया। रिपोर्ट कार्ड उन छात्रों के प्रतिशत का आकलन करते हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया। बेंचमार्क सभी छात्रों का 75प्रतिशत होगा जिन्होंने तरीके से उत्तर दिया अर्थात इस स्कोर को प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूर्ण वेटेज प्वाइंट मिलेंगे।
3	1.1.3	कक्षा 3 में औसत गणित स्कोर–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	एनएएस	20	
4	1.1.4	कक्षा 5 में औसत भाषा स्कोर–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	एनएएस	20	
5	1.1.5	कक्षा 5 में औसत गणित के अंक–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	एनएएस	20	
6	1.1.6	कक्षा 8 में औसत भाषा स्कोर–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	एनएएस	20	
7	1.1.7	कक्षा 8 में औसत गणित स्कोर–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	एनएएस	20	
8	1.1.8	कक्षा 8 में औसत विज्ञान स्कोर–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	एनएएस	20	
9	1.1.9	कक्षा 8–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में औसत सामाजिक विज्ञान स्कोर	एनएएस	20	
		क्षेत्र 1–अधिगम के परिणामरू कुल डोमेन भार		180	
		श्रेणी 1: परिणाम			
		क्षेत्र 2–पहुंच			
10	1.2.1	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रवेश आयु के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर समायोजित कुल नामांकन अनुपात (एएनईआर)	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
11	1.2.2	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रवेश आयु के अनुसार माध्यमिक स्तर पर समायोजित कुल नामांकन अनुपात (एएनईआर)	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
12	1.2.3	प्राथमिक स्तर पर रिटेंशन दर	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
13	1.2.4	प्राथमिक स्तर पर रिटेंशन दर		10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
14	1.2.5	माध्यमिक स्तर पर अंतरण दर	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
15	1.2.6	प्राथमिक से उच्च–प्राथमिक स्तर पर अंतरण दर		10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
16	1.2.7	उच्च–प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अंतरण दर	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
17	1.2.8	अंतिम पूर्ण शैक्षणिक वर्ष (कक्षा 1 से 8) में चिन्हित आउट–ऑफ–स्कूल–बच्चों की प्रतिशतता	शगुन	10	एसएस के पीएबी में दिए गए लक्ष्य का 100 प्रतिशत–सरकारी स्कूल
		क्षेत्र 2–पहुंचरू कुल क्षेत्र भार		80	
		श्रेणी 1: परिणाम			
		क्षेत्र 3–इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं			
18	1.3.1	उच्चतर प्राइमरी स्तर पर सीएएल वाले स्कूलों का प्रतिशत	यूडाइज	20	उच्च प्रारंभिक विद्यालयों का 100 प्रतिशत
		प्रयोगशाला की सुविधा वाले माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत	यूडाइज		सरकार माध्यमिक विद्यालयों का 100 प्रतिशत
19	1.3.2	क) एकीकृत विज्ञान लैब		10	
20	1.3.3	ख) कंप्यूटर लैब		10	

क्र.सं.	संकेतक सं.	सूचक	डेटा स्रोत	मान	बेंचमार्क
1	2	3	4	5	6
21	1.3.4	बुक बैंक/रीडिंग रूम/लाइब्रेरी वाले स्कूलों काप्रतिशत	यूडाइज	20	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
22	1.3.5	व्यावसायिक शिक्षा विषय द्वारा कवर स्कूलों काप्रतिशत	यूडाइज		कंपोजिट सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का 25 प्रतिशत
		क) कक्षा 9 और 10		10	
		ख) कक्षा 11 और 12		10	
23	1.3.6	(ग्रेड युक्त पूरक) सामग्री प्रदान करने वाले प्रारंभिक विद्यालयों का प्रतिशत,	शगुन	20	सरकारी प्रारंभिक विद्यालय का 100 प्रतिशत
24	1.3.7	पीएबी–सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्वीकृत लक्ष्य के विरुद्ध मध्यान्ह भोजन लेने वाले प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों का प्रतिशत	एमडीएम पोर्टल	10	एमडीएम पीएबी लक्ष्य 2017–18 का 100 प्रतिशत
25	1.3.8	कुल कार्य दिवसों की तुलना में मध्यान्ह भोजन काप्रतिशत–सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय	एमडीएम पोर्टल	10	आरटीई अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर 200 दिनों का और उच्च प्रारंभिक स्तर पर 220 दिनों का 100 प्रतिशत
26	1.3.9	सुचारू पेयजल सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत–सभी विद्यालय	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
27	1.3.10	प्रारंभिक स्तर के छात्रों का प्रतिशत शैक्षणिक वर्ष 2016–17 की शुरुआत के तीन महीने के भीतर यूनिफॉर्म प्राप्त करना–सरकार स्कूल	यूडाइज	10	सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में सभी छात्रों का 100 प्रतिशत
28	1.3.11	प्रारंभिक स्तर के छात्रों का प्रतिशत शैक्षणिक वर्ष 2016–17 की शुरुआत के एक महीने के भीतर निरू शुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त करना	यूडाइज	10	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सभी छात्रों का 100 प्रतिशत
		डोमेन 3–बुनियादी संरचना और सुविधाएं: कुल डोमेन मान		150	
		श्रेणी 1: परिणाम			
		डोमेन 4–इक्विटी			
29	1.4.1	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3, 5 और 8 में भाषा के विषय में अनुसूचित जाति और सामान्य श्रेणी के विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अंतर प्रतिशत	एनएएस	20	चूंकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों और सामान्य श्रेणी के छात्रों के बीच शून्य अंतर होना चाहिए, इन संकेतकों के तहत अधिकतम मान अंक 0 का स्कोर दिया जाएगा। (0 मान को 100 अंक दिए जाएं)। अंतर का पूर्ण मान लिया जाएगा। बेहतर अंतर कम ग्रेड है। तीन वर्गों (3, 5 और 8) का औसत प्रदर्शन लिया जाएगा।
30	1.4.2	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3, 5 और 8 में गणित के विषय में अनुसूचित जाति और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अंतर	एनएएस	20	
31	1.4.3	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3, 5 और 8 में भाषा के विषय अनुसूचित जनजाति में और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अंतर	एनएएस	20	
32	1.4.4	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3, 5 और 8 में गणित के विषय में अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अंतर	एनएएस	20	
33	1.4.5	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों कक्षा 3, 5 और 8 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भाषा में छात्र प्रदर्शन में अंतर	एनएएस	10	सही ढंग से उत्तर देने वाले शहरी छात्रों के प्रतिशत और सही ढंग से उत्तर देने वाले ग्रामीण छात्रों के प्रतिशत में अंतर को यहां (ग्रामीण–शहरी) में मापा जा सकता है और लक्ष्य 0 से अधिक या उसके बराबर सेट किया जा सकता है।
34	1.4.6	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों कक्षा 3, 5 और 8 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भाषा में छात्र प्रदर्शन में अंतर	एनएएस	10	

क्र.सं.	संकेतक सं.	सूचक	डेटा स्रोत	मान	बेंचमार्क
1	2	3	4	5	6
					चूंकि ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच शून्य अंतर होना चाहिए, इन संकेतकों के तहत अधिकतम मान अंक 0 के स्कोर को दिया जाएगा। अंतर का पूर्ण मूल्य लिया जाएगा।
35	1.4.7	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के बीच सरकार में भाषा में छात्र प्रदर्शन में अंतर कक्षा 3, 5 और 8	एनएएस	10	सही ढंग से उत्तर देने वाले लड़कों के प्रतिशत और सही उत्तर देने वाली लड़कियों केप्रतिशत में अंतर को यहां (लड़कियों–लड़कों) के रूप में मापा जा सकता है और लक्ष्य 0. से अधिक या उसके बराबर सेट किया जा सकता है। चूंकि लड़कों और लड़कियों के बीच शून्य अंतर होना चाहिए, अधिकतम वेटेज अंक इन संकेतकों के तहत 0 के स्कोर को दिया जाएगा। अंतर का पूर्ण मूल्य लिया जाएगा
36	1.4.8	सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों लड़कों और लड़कियों के बीच सरकार के गणित में छात्र के प्रदर्शन में अंतर कक्षा 3, 5 और 8	एनएएस	10	
37	1.4.9	क) उच्च प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक अनुसूचित जाति और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों की अंतरण दर के बीच अंतर	यूडाइज	10	सभी स्कूलों में 0 (शून्य अंतर होना चाहिए)
		ख) उच्च प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों की अंतरण दर के बीच अंतर		10	सभी स्कूलों में 0 (शून्य अंतर होना चाहिए)
38	1.4.10	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक लड़कों और लड़कियों के अंतरण दर के बीच अंतर	यूडाइज	10	सभी स्कूलों में 0 (शून्य अंतर होना चाहिए)
39	1.4.11	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अल्पसंख्यकों और सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के अंतरण दर के बीच अंतर	यूडाइज	20	सभी स्कूलों में 0 (शून्य अंतर होना चाहिए)
40	1.4.12	सीडब्ल्यूएसएन का सकल नामांकन अनुपात (आयु समूह 6–18 वर्ष)	शगुन (नामांकन के लिए यूडाइज और जनसंख्या के लिए एमएसजेई)	10	सभी स्कूलों में उस आयु वर्ग में सीडब्ल्यूएसएन के 100 प्रतिशत बच्चे
41	1.4.13	सीडब्ल्यूएसएन को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए सहायता और उपकरण प्राप्त करने का प्रतिशत	शगुन	10	पीएबी एसएसए 2017–18 में 100 प्रतिशत लक्ष्य।
42	1.4.14	विकलांग बच्चों के लिए स्कूल के भवन तक पहुँचने के लिए रैंप वाले स्कूलों का प्रतिशत	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
43	1.4.15	कार्यात्मक सीडब्ल्यूएसएन अनुकूल शौचालयों वाले स्कूलों का प्रतिशत	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
44	1.4.16	कार्यात्मक शौचालयों वाले स्कूलों का प्रतिशत			
		क) लड़कों के लिए शौचालय	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत

क्र.सं.	संकेतक सं.	सूचक	डेटा स्रोत	मान	बेंचमार्क
1	2	3	4	5	6
		ख) लड़कियों के लिए शौचालय	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
		डोमेन 4–इक्विटी: कुल डोमेन वजन		230	
		कुल श्रेणी 1 मान		640	
		श्रेणी 2: शासन और प्रबंधन			
		क्षेत्र 1–शासन प्रक्रियाए			
45	2.1.1	उन बच्चों का प्रतिशत जिनकी यूनिक आईडी एसडीएमआईएस में है	यूडाइज	10	6 से 18 वर्ष की आयु के सभी स्कूलों में सभी छात्रों का 100 प्रतिशत।
46	2.1.2	ऐसे शिक्षकों का प्रतिशत जिनकी यूनिक आईडी राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में है।	शगुन	10	सभी स्कूलों में सभी शिक्षकों का 100 प्रतिशत
47	2.1.3	डिजिटल रूप से कैप्चर किए गए छात्रों की औसत दैनिक उपस्थिति काप्रतिशत (स्टेट्स और यूटीएस एमडीएम के एएमएस के समान डिजिटल तंत्र निर्धारित कर सकते हैं	शगुन	10	सभी सरकारी और सरकारी एडेड स्कूल के छात्रों में 75 प्रतिशत
48	2.1.4	इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति प्रणाली में दर्ज शिक्षकों की औसत दैनिक उपस्थिति काप्रतिशत	शगुन	10	सभी सरकारी और सरकार एडेड स्कूल में सभी शिक्षकों का 80 प्रतिशत
49	2.1.5	प्रारंभिक स्तर पर स्कूलों का प्रतिशत ट्विनिंग/पार्टनरशिप के तहत कवर किया गया	शगुन	10	सभी स्कूलों का 50 प्रतिशत
50	2.1.6	प्रारंभिक स्तर के स्कूलों का प्रतिशत सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रारंभिक शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित करना–सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल	शगुन	10	सभी प्रारंभिक सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों का 100 प्रतिशत
51	2.1.7	एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	यूडाइज	10	प्रारंभिक स्तर पर एक भी शिक्षक स्कूल नहीं होना चाहिए, इसलिए बेंच मार्क को शून्य के रूप में सेट किया जाना चाहिए (0)
52	2.1.8	आरटीई मानक के अनुसार पीटीआर वाले प्राथमिक स्कूलों का प्रतिशत	यूडाइज	10	प्रारंभिक स्तर पर सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत।
53	2.1.9	आरटीई के अनुसार हेड–टीचर मानदंडों को पूरा करने वाले प्राथमिक और उच्च प्रारंभिक स्कूलों का प्रतिशत	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
54	2.1.10	प्रिंसिपल/हेड मास्टर्स की स्थिति वाले माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत	यूडाइज	20	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
55	2.1.11 क.	आरटीई के अनुसार विषय–शिक्षक के मानदंडों को पूरा करने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय	यूडाइज	10	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
	2.1.11 ख.	माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत जिनके पास सभी मुख्य विषयों के शिक्षक हैं	यूडाइज	20	सभी स्कूलों का 100 प्रतिशत
56	2.1.12	दिए गए शैक्षणिक सत्र 2018–19 के प्रारम्भ में राज्य और जिला शैक्षणिक संस्थानों (एससीईआरटी/एसआईई और डीआईईटी) में भरे गए शैक्षणिक पदों का प्रतिशत	शगुन	10	राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा स्वीकृत सभी शैक्षणिक पदों का 100 प्रतिशत।
57	2.1.13	सभी जिलों के लिए पिछले 03 वर्षों में जिला शिक्षा अधिकारी (या समकक्ष) की औसत औश्रयूपेंसी (महीनों में)	शगुन	10	राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा स्वीकृत ऐसे सभी पदों का 100 प्रतिशत।
58	2.1.14	प्रमुख सचिव/सचिव (शिक्षा), एसपीडी (एसएसए) और एसपीडी (आरएमएसए) का औसत अक्यूपेंसी (महीनों में)	शगुन	10	राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा स्वीकृत ऐसे सभी पदों का 100 प्रतिशत।
59	2.1.15	पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में दरों का विवरण:	यूडाइज	10	सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों का 100 प्रतिशत और सहायता प्राप्त स्कूल। ए, बी और सी के औसत प्रदर्शन के अनुसार वेटेज अंक दिए जाएंगे।
		(क) स्कूलों का प्रतिशत, शैक्षणिक निरीक्षण के लिए कम से कम 3 बार दौरा किया			
		(ख) सीआरसी समन्वयक द्वारा कम से कम 3 बार स्कूलों दौरा किया गया प्रतिशत			

क्र.सं.	संकेतक सं.	सूचक	डेटा स्रोत	मान	बेंचमार्क
1	2	3	4	5	6
		(ग) ब्लॉक स्तर के अधिकारी (बीआरसी/बीईओ) द्वारा कम से कम 3 बार स्कूलों का दौरा किया गया के प्रतिशत			
60	2.1.16	क) समितियों को राशि का केंद्रीय अंश जारी करने के लिए राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा लिए गए औसत दिवस (वित्तीय वर्ष के दौरान)	शगुन	10	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निधियों के केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर
		ख) राज्य सरकार द्वारा लिए गए दिनों की औसत संख्या। समितियों के कारण कुल राज्य का हिस्सा जारी करने के लिए प्रशासन (वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान) (विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नही)	शगुन	10	राज्य द्वारा केंद्रीय हिस्से की निधि प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर। विधायिका रहित संघ के राज्य क्षेत्र के मामलें में महत्व के अनुसार संपूर्ण 20 अंक भाग (क) को प्रदान किए जाएंगे।
61	2.1.17	मूल्यांकन किए शिक्षकों का प्रतिशत (वर्ष 2017–18 के दौरान)	शगुन (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)	10	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों 100 प्रतिशत
62	2.1.18	वित्त वर्ष 2017–18 में स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम पूरा करने वाले सरकारी मुख्य अध्यापकों/प्राचार्यों का प्रतिशत – केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या के विरुद्ध मापी गई – कम से कम, प्रशिक्षण में **NCSL**, **NUEPA** द्वारा निर्धारित **SLDP** के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए	शगुन	20	एसएस 2017–18 के पीएबी में लक्ष्य का 100 प्रतिशत
63	2.1.19	वित्तीय मूल्यांकन 2017–18 के दौरान स्व–मूल्यांकन पूरा करने वाले और स्कूल सुधार की योजना बनाने वाले स्कूलों का प्रतिशत	शगुन	10	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों 100 प्रतिशत
64	2.1.20	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्रशिक्षण के दिनों की स्वीकृत संख्या के साथ प्रदान किए गए शिक्षकों का प्रतिशत–सरकार और सहायता प्राप्त	शगुन	20	एसएस 2017–18 के पीएबी में लक्ष्य का 100 प्रतिशत
65	2.1.21	2017–18 के दौरान भर्ती हुए नए शिक्षकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन भर्ती प्रणाली के माध्यम से नए शिक्षकों की संख्या	शगुन	20	सरकारी स्कूलों में नए भर्ती किए गए शिक्षकों 100 प्रतिशत
66	2.1.22	2017–18 के दौरान स्थानांतरित शिक्षकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या	शगुन	20	सरकारी स्कूलों में पात्र शिक्षकों का 100 प्रतिशत
67	2.1.23	2017–18 के दौरान भर्ती किए गए कुल शिक्षकों/ प्रधानाध्यापकों की कुल संख्या केप्रतिशत के रूप में एक योग्यता–आधारित चयन प्रणाली के माध्यम से भर्ती किए गए प्रधान–शिक्षकों/प्राचार्यों की संख्या	शगुन	20	सरकारी स्कूलों में भर्ती किए गए सभी हेड–टीचर्स प्रिंसिपलों का 50 प्रतिशत।
68	2.1.24	2017–18 के कुल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के बजट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का बजट हिस्सा, स्कुल शिक्षा पर खर्च किया गया	शगुन	20	कम से कम 20 प्रतिशत
69	2.1.25	2017–18 में स्कूल शिक्षा पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के बजट के प्रतिशत के रूप में पीपीपी, सीएसआर इत्यादि के माध्यम से व्यवस्था की गई (माल और सेवाओं के मूल्य सहित)	शगुन	10	कम से कम 1 प्रतिशत
70	2.1.26	पीएफएमएस के तहत पंजीकृत निम्न में से प्रत्येक का प्रतिशतरू		10	वेटेज अंक तीनों का औसत होगा
		अ) स्कूल	शगुन		100
		इ) **SCERT / SIE**			100
		ग) डाइट			100
		कुल श्रेणी 2 वजन		360	
		कुल वजन		1000	
नोट 1: 'सभी स्कूलों' में 1 से 12 तक सभी कक्षाएं और सभी स्कूल प्रबंधन शामिल हैं।					

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए **सर्वाधिक और सबसे कम संशोधित क्षेत्र**

संलग्नक - २

क्र.सं.	राज्य	अधिकतम सुधार के साथ क्षेत्र	सबसे कम सुधार वाला क्षेत्र
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	डोमेन 3: अवस्थापना (+ 16.00 प्रतिशत)	डोमेन 2: पहुँच (- 5.00 प्रतिशत)
2	आंध्र प्रदेश	डोमेन 2: पहुँच (+ 8.75 प्रतिशत)	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (- 4.17 प्रतिशत)
3	अरुणाचल प्रदेश	डोमेन 2: पहुँच (+ 15.00 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-5.22 प्रतिशत)
4	असम	डोमेन 3: अवस्थापना (+ 18.67 प्रतिशत)	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (-4.44 प्रतिशत)
5	बिहार	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 17.22 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-2.17 प्रतिशत)
6	चंडीगढ़	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 13.89 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (+ 0.43 प्रतिशत)
7	छत्तीसगढ	डोमेन 2: पहुँच (+ 3.75 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-2.61 प्रतिशत)
8	दादरा और नगर हवेली	डोमेन 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर (+ 8.67 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-1.74 प्रतिशत)
9	दमन और दीव	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 14.72 प्रतिशत)	डोमेन 2: पहुँच (-1.25 प्रतिशत)
10	दिल्ली	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 15.28प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (+ 2.61 प्रतिशत)
11	गोवा	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 16.94 प्रतिशत)	डोमेन 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर (-0.67 प्रतिशत)
12	गुजरात	डोमेन 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर (+ 11.33प्रतिशत)	डोमेन 2: पहुँच (+ 1.25प्रतिशत)
13	हरियाणा	डोमेन 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर (+ 6.00प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-3.91प्रतिशत)
14	हिमाचल प्रदेश	डोमेन 3: अवस्थापना (+ 20.00 प्रतिशत)	डोमेन 2: पहुँच (-2.50 प्रतिशत)
15	जम्मू और कश्मीर	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 12.22 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-1.74 प्रतिशत)

16	झारखंड	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 28.06प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-2.61प्रतिशत)
17	कर्नाटक	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 20.83 प्रतिशत)	डोमेन 3: अवस्थापना (-12.67 प्रतिशत)
18	केरल	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 11.67 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-3.04 प्रतिशत)
19	लद्दाख (यूटी)	डोमेन 5: प्रशासन प्रक्रियाएं (+12.22 प्रतिशत)	डोमेन 4: समानता (-1.74 प्रतिशत)
20	लक्षद्वीप	डोमेन 3: अवस्थापना (+ 14.67 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-3.48 प्रतिशत)
21	मध्य प्रदेश	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 10.83 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (+ 2.17 प्रतिशत)
22	महाराष्ट्र	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 25.28 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-0.87 प्रतिशत)
23	मणिपुर	डोमेन 3: अवस्थापना (+ 14.00 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (–4.35 प्रतिशत)
24	मेघालय	डोमेन 3: अवस्थापना (+ 17.33 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-7.39 प्रतिशत)
25	मिजोरम	डोमेन 2: पहुँच (+ 10.00 प्रतिशत)	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (-1.11 प्रतिशत)
26	नगालैंड	डोमेन 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर (+ 22.67 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (+ 0.87 प्रतिशत)
27	ओडिशा	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 16.39 प्रतिशत)	डोमेन 3: अवस्थापना (-14.67 प्रतिशत)
28	पुडुचेरी	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 27.50 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-2.17 प्रतिशत)
29	पंजाब	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 7.50 प्रतिशत)	डोमेन 2: पहुँच (-11.25 प्रतिशत)
30	राजस्थान	डोमेन 2: प्रवेश (+ 11.25 प्रतिशत)	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (-1.94 प्रतिशत)
31	सिक्किम	डोमेन 3: अवस्थापना (+ 18.00 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (+ 2.61 प्रतिशत)
32	तमिलनाडु	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 12.78 प्रतिशत)	डोमेन 2: पहुँच (-8.75 प्रतिशत)
33	तेलंगाना	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 23.89 प्रतिशत)	डोमेन 3: अवस्थापना (-2.67 प्रतिशत)
34	त्रिपुरा	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 18.89 प्रतिशत)	डोमेन 4: इक्विटी (-1.30 प्रतिशत)
35	उत्तर प्रदेश	डोमेन 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर (+ 24.00 प्रतिशत)	डोमेन 1: LO और गुणवत्ता (-10.00 प्रतिशत)
36	उत्तराखंड	डोमेन 4: इक्विटी (+ 2.61 प्रतिशत)	डोमेन 3: अवस्थापना (-0.67 प्रतिशत)
37	पश्चिम बंगाल	डोमेन 3: इन्फ्रास्ट्रक्चर (+ 32.00 प्रतिशत)	डोमेन 5: शासन प्रक्रिया (+ 7.78 प्रतिशत)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

मा·स·वि·म·

www.mhrd.gov.in | seshagun.gov.in/shagun | pgi.seshagun.gov.in